

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //


क्रमांक C/6172 /

जबलपुर, दिनांक 24/08/2024

II-14-78/18

श्रीमती श्वेता गुप्ता, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को पूर्व में स्वीकृत द्वितीय प्रसूति अवकाश दिनांक 02.01.2024 से 29.06.2024 तक 180 दिन की निरन्तरता में म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 38-ग के अंतर्गत दिनांक 30.06.2024 से 31.12.2024 तक 185 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/6173 /

जबलपुर, दिनांक 24/08/2024


II-14-78/18

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 3520/स्था. ग्वालियर, दिनांक 11/07/2024 के संदर्भ में श्रीमती श्वेता गुप्ता, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर का निर्धारित प्रपत्र मूलतः, बर्थ सर्टिफिकेट एवं दो चिकित्सा पेपर्स वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

2. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

५५